

27-7-22

पत्रावली के प्रथम एवं प्रथम के  
आधीपत्रा को बार-बार कठ कठ कर  
आवाजें पुकाराई गई प्रथम व प्रथम के  
आधीपत्रा हाजिर न्यायालय नहीं आये।  
कारण प्रथम का प्रथम का अलग-अलग  
अलग पंजी में श्वारिज किया जाता है,  
पत्रावली नम्बर से काम होने का श्वारिज  
दिया है।

उपरोक्त अधिकारी  
साक्षरी (दृष्टी)